

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) चम्पावत

आ०सं०बे०शि० / ८० / अनि०स्था० / २०१५-१६

दिनांक ०६ जुलाय २०१५

## विज्ञप्ति स्थानान्तरण

एतदद्वारा उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली—२०१३ के नियम १०(१) (अ) के तहत एवं उप शिक्षा अधिकारियों द्वारा दिये गये शिक्षक प्रोफाईल एवं रिक्तियों के आधार पर X क्षेत्र (सुगम) से Y क्षेत्र (दुर्गम) में राठप्रा०वि० में कार्यरत सहायक अध्यापकों के अनिवार्य स्थानान्तरण उनके नाम के समुख कॉलम ०५ में अंकित विद्यालयों में किये जाते हैं।

स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिका आदेश निर्गत की तिथि से ०७ दिन के अन्तर्गत अपने स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें तथा कार्यभार ग्रहण की सूचना उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें। स्थानान्तरित विद्यालय में समय सीमा के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया जायेगा तथा पूर्व तैनाती स्थल से वेतन आहरित नहीं किया जायेगा। कार्यभार ग्रहण हेतु किसी प्रकार की समय वृद्धि देय नहीं होगी। यथा संशोधन नियम-१० के अन्त में टिप्पणी अर्थात् १० (४) के उपरान्त टिप्पणी का अन्तस्थापन के अनुसार अनिवार्य तथा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित शिक्षक यदि प्राथमिक विद्यालय की स्थिति में विद्यालय अध्यापक विहिन हो रहा हो एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की दशा में विद्यालय में ५० प्रतिशत से अधिक शिक्षकों की कमी हो रही हो, तो ऐसी दशा में शिक्षक विद्यालय से तभी कार्यमुक्त होंगे जब विद्यालय में प्रतिस्थानी की तैनाती हो जाये। परन्तु यदि नियमित शिक्षक की प्रतिस्थानी के रूप में तैनाती न हो पा रही हो, तो स्थानान्तरित शिक्षक को कार्यमुक्त करने से पूर्व सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त सम्बन्धित विद्यालय में किसी शिक्षक की व्यवस्था पर तैनाती की जायेगी।

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	पद नाम	कार्यरत विद्यालय/विकासखण्ड का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय/विकासखण्ड का नाम	अभियुक्ति
१	२	३	४	५	६
१	श्रीमती नीलिमा जोशी	स०आ०	राठप्रा०वि० भजनपुर (चम्पावत)	राठप्रा०वि० देवराडी (बाराकोट)	—
२	श्रीमती मनीषी जोशी	स०आ०	राठप्रा०वि० भजनपुर (चम्पावत)	राठप्रा०वि० बिल्दे (बास्तकोट) लो। दाधार	—

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली—२०१३ के नियम २६ में दी गई अपीलीय व्यवस्था के अन्तर्गत स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिका को स्थानान्तरण के संदर्भ में यदि कोई आपत्ति हो तो स्थानान्तरण आदेश का पालन करते हुये अपने नवीन तैनाती स्थल पर निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करके स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पुष्ट साक्ष्य सहित अपना प्रत्यावेदन मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, (प्रा०शि०) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल को अद्योहस्ताक्षरी के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं।

(वाई०एस० चौधरी)  
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)  
चम्पावत

पृ०सं० बे०शि० / १००४-१४ / अनि०स्था० / २०१५-१६

तददिनांकित

- प्रतिलिपि:-
१. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
  २. अपर शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल।
  ३. जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत।
  ४. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
  ५. वरिष्ठ/उप कोषाधिकारी चम्पावत, लोहाघाट, पाटी।
  ६. जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, चम्पावत।
  ७. सम्बन्धित उप शिक्षा, को इस आशय से प्रेषित की स्थानान्तरित अध्यापकों को नियमानुसार कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
  ८. सम्बन्धित अध्यापक को इस आशय से प्रेषित की उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यमुक्त होना सुनिश्चित हो।
  ९. कार्यालय पत्रावली।

④  
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) ८५  
चम्पावत

## कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) चम्पावत

आ०सं०ब०शि०/ ८१ / अनि०स्था०/ 2015-16

दिनांक ६० जुलाय 2015

### विज्ञप्ति स्थानान्तरण

एतद्वारा उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली-2013 के नियम 10(1) (अ) के तहत एवं उप शिक्षा अधिकारियों द्वारा दिये गये शिक्षक प्रोफाईल एवं रिक्तियों के आधार पर X क्षेत्र (सुगम) से Y क्षेत्र (दुर्गम) में राठ्रा०वि० में कार्यरत प्रधानाध्यापकों के अनिवार्य स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कॉलम 05 में अंकित विद्यालयों में किये जाते हैं।

स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिका आदेश निर्गत की तिथि से 07 दिन के अन्तर्गत अपने स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें तथा कार्यभार ग्रहण की सूचना उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें। स्थानान्तरित विद्यालय में समय सीमा के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया जायेगा तथा पूर्व तैनाती स्थल से वेतन आहरित नहीं किया जायेगा। कार्यभार ग्रहण हेतु अन्तस्थापन के अनुसार अनिवार्य तथा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित शिक्षक यदि प्राथमिक विद्यालय की स्थिति में विद्यालय अध्यापक विहिन हो रहा हो एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की दशा में विद्यालय में 50 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों की कमी हो रही हो, तो ऐसी दशा में शिक्षक विद्यालय से तभी कार्यमुक्त होंगे जब विद्यालय में प्रतिस्थानी की तैनाती हो जाये। परन्तु यदि नियमित शिक्षक की प्रतिस्थानी के रूप में तैनाती न हो पा रही हो, तो स्थानान्तरित शिक्षक को कार्यमुक्त करने से पूर्व सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त सम्बन्धित विद्यालय में किसी शिक्षक की व्यवस्था पर तैनाती की जायेगी।

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	पद नाम	कार्यरत विद्यालय/विकासखण्ड का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय/विकासखण्ड का नाम	अभियुक्त
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अन्नपूर्णा जोशी	प्र०अ०	राठ्रा०वि० टनकपुर (चम्पावत)	राठ्रा०वि० मिरतोली (बाराकोट)	-
2	श्रीमती लक्ष्मी बोरा	प्र०अ०	राठ्रा०वि० चम्पावत (चम्पावत)	राठ्रा०वि० पोलप (चम्पावत)	-
3	श्रीमती हेमन्ती खनका	प्र०अ०	राठ्रा०वि० स्ट्रांगफार्म (चम्पावत)	राठ्रा०वि० रैघाव (बाराकोट)	-
4	श्रीमती माधुरी देवी	प्र०अ०	राठ्रा०वि० छीनीगोठ (चम्पावत)	राठ्रा०वि० पट्यूडा (बाराकोट)	-
5	श्रीमती सुधा देवी	प्र००अ०	राठ्रा०वि० सैलानीगोठ (चम्पावत)	राठ्रा०वि० बोरातोला (चम्पावत)	-
6	श्री नारायण दत्त.जोशी	प्र०अ०	राठ्रा०वि० ईडाकोट (लोहाघाट)	राठ्रा०वि० जमाड (बाराकोट)	-

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली- 2013 के नियम 26 में दी गई अपीलीय व्यवस्था के अन्तर्गत स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिका को स्थानान्तरण के संदर्भ में यदि कोई आपत्ति हो तो स्थानान्तरण आदेश का पालन करते हुये अपने नवीन तैनाती स्थल पर निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करके स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पुष्ट साक्ष्य सहित अपना प्रत्यावेदन मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, (प्रा०शि०) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल को अद्योहस्ताक्षरी के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं।

(वाइ०एस० चौधरी)  
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)  
चम्पावत

पृ० सं० बे० शि० / १५८३ / अनि० स्था० / २०१५-१६

तददिनांकित

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
2. अपर शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
5. वरिष्ठ / उप कोषाधिकारी चम्पावत, लोहाघाट, पाटी।
6. जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, चम्पावत।
7. सम्बन्धित उप शिक्षा, को इस आशय से प्रेषित की स्थानान्तरित अध्यापकों को नियमानुसार कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित अध्यापक को इस आशय से प्रेषित की उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यमुक्त होना सुनिश्चित हो।
9. कार्यालय पत्रावली।

१५८३  
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा० शि०)  
चम्पावत  
*[Signature]*

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) चम्पावत

आ०सं०बे०शि० / १२ / अनि०स्था० / 2015-16

दिनांक ०६ जुलाय 2015

## विज्ञप्ति स्थानान्तरण

एतद्वारा उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली—2013 के नियम 10(1) (अ) के तहत एवं उप शिक्षा अधिकारियों द्वारा दिये गये शिक्षक प्रोफाईल एवं रिक्तियों के आधार पर X क्षेत्र (सुगम) से y क्षेत्र (दुर्गम) में रा०उ०प्रा०वि० में कार्यरत सहायक अध्यापकों के अनिवार्य स्थानान्तरण उनके नाम के सम्बुख कॉलम 05 में अंकित विद्यालयों में किये जाते हैं।

स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिका आदेश निर्गत की तिथि से 07 दिन के अन्तर्गत अपने स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें तथा कार्यभार ग्रहण की सूचना उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें। स्थानान्तरित विद्यालय में समय सीमा के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया जायेगा तथा पूर्व तैनाती स्थल से वेतन आहरित नहीं किया जायेगा। कार्यभार ग्रहण हेतु किसी प्रकार की समय वृद्धि देय नहीं होगी। यथा संशोधन नियम-10 के अन्त में टिप्पणी अर्थात् 10 (4) के उपरान्त टिप्पणी का अन्तस्थापन के अनुसार अनिवार्य तथा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित शिक्षक यदि प्राथमिक विद्यालय की स्थिति में विद्यालय अध्यापक विहिन हो रहा हो एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की दशा में विद्यालय में 50 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों की कमी हो रही हो, तो ऐसी दशा में शिक्षक विद्यालय से तभी कार्यमुक्त होंगे जब विद्यालय में प्रतिस्थानी की तैनाती हो जाये। परन्तु यदि नियमित शिक्षक की प्रतिस्थानी के रूप में तैनाती न हो पा रही हो, तो स्थानान्तरित शिक्षक को कार्यमुक्त करने से पूर्व सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त सम्बन्धित विद्यालय में किसी शिक्षक की व्यवस्था पर तैनाती की जायेगी।

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	पद नाम	कार्यरत विद्यालय/विकासखण्ड का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय/विकासखण्ड का नाम	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती निर्मला पाण्डेय	स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० सैलानीगढ़ (चम्पावत)	रा०उ०प्रा०वि० सिम्याऊरी (चम्पावत)	—
2	श्रीमती पुष्पा जोशी	स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० फागपुर (चम्पावत)	रा०उ०प्रा०वि० सिम्याऊरी (चम्पावत)	—
3	श्रीमती सुशीला चौबे	स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० फोर्टी (लोहाघाट)	रा०उ०प्रा०वि० छुलापै (बाराकोट)	—
4	श्रीमती जानकी खाती	स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० सैलानीगढ़ (चम्पावत)	रा०उ०प्रा०वि० धूरा (चम्पावत)	—
5	श्रीमती पुष्पा वर्मा	स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० फरतोला (बाराकोट)	रा०उ०प्रा०वि० मिरतोली (बाराकोट)	—
6	श्री हरीश लाल वर्मा	स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० ठाँटा (लोहाघाट)	रा०उ०प्रा०वि० पासम (लोहाघाट)	—
7	श्रीमती बीना जोशी	स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० खतेडा (लोहाघाट)	रा०उ०प्रा०वि० निडिल (लोहाघाट)	—
8	श्रीमती मीना सिंह	स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० छीनीगढ़ (चम्पावत)	रा०उ०प्रा०वि० खोकियामंच (चम्पावत)	—

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली—2013 के नियम 26 में दी गई अपीलीय व्यवस्था के अन्तर्गत स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिका को स्थानान्तरण के संदर्भ में यदि कोई आपत्ति हो तो स्थानान्तरण आदेश का पालन करते हुये अपने नवीन तैनाती स्थल पर निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करके स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पुष्ट साक्ष्य सहित अपना प्रत्यावेदन मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, (प्रा०शि०) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल को अद्योहस्ताक्षरी के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं।

(वा०ए०स० चौधरी)  
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)  
चम्पावत

पृ०सं० बे०शि० / १४३ / अनि०स्था० / २०१५-१६

तद॒दिनांकित

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
2. अपर शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
5. वरिष्ठ / उप कोषाधिकारी चम्पावत, लोहाघाट, पाटी।
6. जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, चम्पावत।
7. सम्बन्धित उप शिक्षा, को इस आशय से प्रेषित की स्थानान्तरित अध्यापकों को नियमानुसार कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित अध्यापक को इस आशय से प्रेषित की उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यमुक्त होना सुनिश्चित हो।
9. कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) २०१५  
चम्पावत

## कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) चम्पावत

आ०सं०:बे०शि० / १५ / अनि०स्था० / 2015-16

दिनांक ०६ जुलाय 2015

### विज्ञप्ति स्थानान्तरण

एतद्वारा उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली-2013 के नियम 10(1) (आ) के तहत एवं उप शिक्षा अधिकारियों द्वारा दिये गये शिक्षक प्रोफाईल एवं रिक्तियों के आधार पर Y क्षेत्र (दुर्गम) से X क्षेत्र (सुगम) में रा०उ०प्रा०वि० में कार्यरत सहायक अध्यापकों के अनिवार्य स्थानान्तरण उनके नाम के समुख कॉलम 05 में अंकित विद्यालयों में किये जाते हैं।

स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिका आदेश निर्गत की तिथि से 07 दिन के अन्तर्गत अपने स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें तथा कार्यभार ग्रहण की सूचना उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें। स्थानान्तरित विद्यालय में समय सीमा के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया जायेगा तथा पूर्व तैनाती स्थल से वेतन आहरित नहीं किया जायेगा। कार्यभार ग्रहण हेतु किसी प्रकार की समय वृद्धि देय नहीं होगी। यथा संशोधन नियम-10 के अन्त में टिप्पणी अर्थात् 10 (4) के उपरान्त टिप्पणी का अन्तस्थापन के अनुसार अनिवार्य तथा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित शिक्षक यदि प्राथमिक विद्यालय की स्थिति में विद्यालय अध्यापक विहिन हो रहा हो एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की दशा में विद्यालय में 50 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों की कमी हो रही हो, तो ऐसी दशा में शिक्षक विद्यालय से तभी कार्यमुक्त होंगे जब विद्यालय में प्रतिस्थानी की तैनाती हो जाये। परन्तु यदि नियमित शिक्षक की प्रतिस्थानी के रूप में तैनाती न हो पा रही हो, तो स्थानान्तरित शिक्षक को कार्यमुक्त करने से पूर्व सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त सम्बन्धित विद्यालय में किसी शिक्षक की व्यवस्था पर तैनाती की जायेगी।

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	पद नाम	कार्यरत विद्यालय/ विकासखण्ड का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय/ विकासखण्ड का नाम	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री प्रताप सिंह खाती	स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० धूरा (चम्पावत)	रा०उ०प्रा०वि० सैलानीगोठ (चम्पावत)	-
2	श्री कुन्दन सिंह	स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० कैन्यूडा (चम्पावत)	रा०उ०प्रा०वि० फागपुर (चम्पावत)	-
3	श्री मोहन चन्द्र	स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० कजीना (पाटी)	रा०उ०प्रा०वि० सैलानीगोठ (चम्पावत)	-
4	श्री रोशन लाल पाण्डेय	स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० टाँड (पाटी)	रा०उ०प्रा०वि० मैरोली (पाटी)	-
5	श्रीमती यामिनी जोशी	स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० कुल्यालगाँव (पाटी)	रा०उ०प्रा०वि० फोर्टी (लोहाघाट)	-
6	श्रीमती ममता जोशी	स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० इजटाङुंगरा (पाटी)	रा०उ०प्रा०वि० विसारी (पाटी)	-
7	श्री धर्मेन्द्र पाल	स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० कुलौली (लोहाघाट)	रा०उ०प्रा०वि० खतेडा (लोहाघाट)	-

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली- 2013 के नियम 26 में दी गई अपीलीय व्यवस्था के अन्तर्गत स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिका को स्थानान्तरण के संदर्भ में यदि कोई आपत्ति हो तो स्थानान्तरण आदेश का पालन करते हुये अपने नवीन तैनाती स्थल पर निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करके स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पुष्ट साक्ष्य सहित अपना प्रत्यावेदन मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, (प्रा०शि०) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल को अद्योहस्ताक्षरी के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं।

(वाई०एस० चौधरी)  
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)  
चम्पावत

पृ० सं० बे० शि० / अनि० स्था० / 2015-16

तददिनांकित

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
2. अपर शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
5. वरिष्ठ / उप कोषाधिकारी चम्पावत, लोहाघाट, पाटी।
6. जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, चम्पावत।
7. सम्बन्धित उप शिक्षा, को इस आशय से प्रेषित की स्थानान्तरित अध्यापकों को नियमानुसार कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित अध्यापक को इस आशय से प्रेषित की उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यमुक्त होना सुनिश्चित हो।
9. कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्राप्तिशिखा)  
चम्पावत

०८० ब्र०शि० / १५४ / अनि०स्था० / २०१५-१६  
प्रतिलिपि:-

तददिनांकित

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
2. अपर शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
5. वरिष्ठ / उप कोषाधिकारी चम्पावत, लोहाघाट, पाटी।
6. जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, चम्पावत।
7. सम्बन्धित उप शिक्षा, को इस आशय से प्रेषित की स्थानान्तरित अध्यापकों को नियमानुसार कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित अध्यापक को इस आशय से प्रेषित की उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यमुक्त होना सुनिश्चित हो।
9. कार्यालय पत्रावली।

*Chm* ६.१५  
जिला शिक्षा अधिकारी (ब्र०शि०)  
चम्पावत

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) चम्पावत

आ०सं०:ब०शि० / *८५* / अनि०स्था० / 2015-16

दिनांक *६* जुलाय 2015

## विज्ञप्ति स्थानान्तरण

एतद्वारा उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली-2013 के नियम 10(1) (आ) के तहत एवं उप शिक्षा अधिकारियों द्वारा दिये गये शिक्षक प्रोफाईल एवं रिक्तियों के आधार पर Y क्षेत्र (दुर्गम) से X क्षेत्र (सुगम) में राठ्रा०वि० में कार्यरत प्रधानाध्यापकों के अनिवार्य स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कॉलम 05 में अंकित विद्यालयों में किये जाते हैं।

स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिका आदेश निर्गत की तिथि से 07 दिन के अन्तर्गत अपने स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें तथा कार्यभार ग्रहण की सूचना उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें। स्थानान्तरित विद्यालय में समय सीमा के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया जायेगा तथा पूर्व तैनाती स्थल से वेतन आहरित नहीं किया जायेगा। कार्यभार ग्रहण हेतु किसी प्रकार की समय वृद्धि देय नहीं होगी। यथा संशोधन नियम-10 के अन्त में टिप्पणी अर्थात् 10 (4) के उपरान्त टिप्पणी का अन्तस्थापन के अनुसार अनिवार्य तथा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित शिक्षक यदि प्रारम्भिक विद्यालय की स्थिति में विद्यालय अध्यापक विहिन हो रहा हो एवं उच्च प्रारम्भिक विद्यालय की दशा में विद्यालय में 50 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों की कमी हो रही हो, तो ऐसी दशा में शिक्षक विद्यालय से तभी कार्यमुक्त होंगे जब विद्यालय में प्रतिस्थानी की तैनाती हो जाये। परन्तु यदि नियमित शिक्षक की प्रतिस्थानी के रूप में तैनाती न हो पा रही हो, तो स्थानान्तरित शिक्षक को कार्यमुक्त करने से पूर्व सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त सम्बन्धित विद्यालय में किसी शिक्षक की व्यवस्था पर तैनाती की जायेगी।

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	पद नाम	कार्यरत विद्यालय/विकासखण्ड का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय/विकासखण्ड का नाम	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री कीर्तीबल्लभ गहतोडी	प्र०अ०	राठ्रा०वि० पोलप (चम्पावत)	राठ्रा०वि० चम्पावत (चम्पावत)	-
2	श्री नन्दू राम आर्या	प्र०अ०	राठ्रा०वि० बोरातोला (चम्पावत)	राठ्रा०वि० पऊ (लोहाघाट)	-

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली- 2013 के नियम 26 में दी गई अपीलीय व्यवस्था के अन्तर्गत स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिका को संदर्भ में यदि कोई आपत्ति हो तो स्थानान्तरण आदेश का पालन करते हुये अपने नवीन तैनाती स्थल पर निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करके स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पुष्ट साक्ष्य सहित अपना प्रत्यावेदन मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, (प्रा०शि०) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल को अद्योहस्ताक्षरी के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं।

पू०सं० ब०शि० / *१८७१२४८* / अनि०स्था० / 2015-16

तददिनांकित

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
2. अपर शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
5. वरिष्ठ/उप कोषाधिकारी चम्पावत, लोहाघाट, पाटी।
6. जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, चम्पावत।
7. सम्बन्धित उप शिक्षा, को इस आशय से प्रेषित की स्थानान्तरित अध्यापकों को नियमानुसार कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित अध्यापक को इस आशय से प्रेषित की उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यमुक्त होना सुनिश्चित हो।
9. कार्यालय पत्रावली।

(वा०१०८० चौधरी)  
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)  
चम्पावत

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)  
चम्पावत

## कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) चम्पावत

आ०सं०:बे०शि० / १५८ / अनि०स्था० / 2015-16

दिनांक १६ जुलाय 2015

### विज्ञप्ति स्थानान्तरण

एतद्वारा उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली-2013 के नियम 10(1) (आ) के तहत एवं उप शिक्षा अधिकारियों द्वारा दिये गये शिक्षक प्रोफाईल एवं रिक्तियों के आधार पर Y क्षेत्र (दुर्गम) से X क्षेत्र (सुगम) में रा०उ०प्रा०वि० में कार्यरत प्रधानाध्यापकों के अनिवार्य स्थानान्तरण उनके नाम के समुख कॉलम 05 में अंकित विद्यालयों में किये जाते हैं।

स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिका आदेश निर्गत की तिथि से 07 दिन के अन्तर्गत अपने स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें तथा कार्यभार ग्रहण की सूचना उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें। स्थानान्तरित विद्यालय में समय सीमा के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया जायेगा तथा पूर्व तैनाती स्थल से वेतन आहरित नहीं किया जायेगा। कार्यभार ग्रहण हेतु किसी प्रकार की समय वृद्धि देय नहीं होगी। यथा संशोधन नियम-10 के अन्त में टिप्पणी अर्थात् 10 (4) के उपरान्त टिप्पणी का अन्तर्स्थापन के अनुसार अनिवार्य तथा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित शिक्षक यदि प्राथमिक विद्यालय की स्थिति में विद्यालय अध्यापक विहिन हो रहा हो एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की दशा में 50 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों की कमी हो रही हो, तो ऐसी दशा में शिक्षक विद्यालय से तभी कार्यमुक्त होंगे जब विद्यालय में प्रतिस्थानी की तैनाती हो जाये। परन्तु यदि नियमित शिक्षक की प्रतिस्थानी के रूप में तैनाती न हो पा रही हो, तो स्थानान्तरित शिक्षक को कार्यमुक्त करने से पूर्व सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त सम्बन्धित विद्यालय में किसी शिक्षक की व्यवस्था पर तैनाती की जायेगी।

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	पद नाम	कार्यरत विद्यालय/विकासखण्ड का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय/विकासखण्ड का नाम	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री दलीप राम भाष्कर	प्र०अ०	रा०उ०प्रा०वि० नरसिंहडांडा (चम्पावत)	रा०उ०प्रा०वि० मैरोली (पाटी)	-

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली-2013 के नियम 26 में दी गई अपीलीय व्यवस्था के अन्तर्गत स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिका को संदर्भ में यदि कोई आपत्ति हो तो स्थानान्तरण आदेश का पालन करते हुये अपने नवीन तैनाती स्थल पर निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करके स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पुष्ट साक्ष्य सहित अपना प्रत्यावेदन मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, (प्रा०शि०) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल को अद्योहस्ताक्षरी के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं।

(वाई०एस० चौधरी)  
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)  
चम्पावत

प०सं० बे०शि० / १५८ / अनि०स्था० / 2015-16

तददिनांकित

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
2. अपर शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
5. वरिष्ठ/उप कोषाधिकारी चम्पावत, लोहाघाट, पाटी।
6. जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, चम्पावत।
7. सम्बन्धित उप शिक्षा, को इस आशय से प्रेषित की स्थानान्तरित अध्यापकों को नियमानुसार कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित अध्यापक को इस आशय से प्रेषित की उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यमुक्त होना सुनिश्चित हो।
9. कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) १५  
चम्पावत

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) चम्पावत

आ०सं०बे०शि० / ८० / अनि०स्था० / २०१५-१६

दिनांक ०६ जुलाय २०१५

## विज्ञप्ति स्थानान्तरण

एतदद्वारा उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली—२०१३ के नियम १०(१) (अ) के तहत एवं उप शिक्षा अधिकारियों द्वारा दिये गये शिक्षक प्रोफाईल एवं रिक्तियों के आधार पर X क्षेत्र (सुगम) से Y क्षेत्र (दुर्गम) में राठप्रा०वि० में कार्यरत सहायक अध्यापकों के अनिवार्य स्थानान्तरण उनके नाम के समुख कॉलम ०५ में अंकित विद्यालयों में किये जाते हैं।

स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिका आदेश निर्गत की तिथि से ०७ दिन के अन्तर्गत अपने स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें तथा कार्यभार ग्रहण की सूचना उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें। स्थानान्तरित विद्यालय में समय सीमा के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया जायेगा तथा पूर्व तैनाती स्थल से वेतन आहरित नहीं किया जायेगा। कार्यभार ग्रहण हेतु किसी प्रकार की समय वृद्धि देय नहीं होगी। यथा संशोधन नियम-१० के अन्त में टिप्पणी अर्थात् १० (४) के उपरान्त टिप्पणी का अन्तस्थापन के अनुसार अनिवार्य तथा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित शिक्षक यदि प्राथमिक विद्यालय की स्थिति में विद्यालय अध्यापक विहिन हो रहा हो एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की दशा में विद्यालय में ५० प्रतिशत से अधिक शिक्षकों की कमी हो रही हो, तो ऐसी दशा में शिक्षक विद्यालय से तभी कार्यमुक्त होंगे जब विद्यालय में प्रतिस्थानी की तैनाती हो जाये। परन्तु यदि नियमित शिक्षक की प्रतिस्थानी के रूप में तैनाती न हो पा रही हो, तो स्थानान्तरित शिक्षक को कार्यमुक्त करने से पूर्व सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त सम्बन्धित विद्यालय में किसी शिक्षक की व्यवस्था पर तैनाती की जायेगी।

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	पद नाम	कार्यरत विद्यालय/विकासखण्ड का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय/विकासखण्ड का नाम	अभियुक्ति
१	२	३	४	५	६
१	श्रीमती नीलिमा जोशी	स०आ०	राठप्रा०वि० भजनपुर (चम्पावत)	राठप्रा०वि० देवराडी (बाराकोट)	—
२	श्रीमती मनीषी जोशी	स०आ०	राठप्रा०वि० भजनपुर (चम्पावत)	राठप्रा०वि० बिल्दे (बास्तकोट) लो। दाधार	—

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली—२०१३ के नियम २६ में दी गई अपीलीय व्यवस्था के अन्तर्गत स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिका को स्थानान्तरण के संदर्भ में यदि कोई आपत्ति हो तो स्थानान्तरण आदेश का पालन करते हुये अपने नवीन तैनाती स्थल पर निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करके स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पुष्ट साक्ष्य सहित अपना प्रत्यावेदन मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, (प्रा०शि०) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल को अद्योहस्ताक्षरी के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं।

(वाई०एस० चौधरी)  
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)  
चम्पावत

पृ०सं० बे०शि० / १००४-१४ / अनि०स्था० / २०१५-१६

तददिनांकित

- प्रतिलिपि:-
१. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
  २. अपर शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल।
  ३. जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत।
  ४. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
  ५. वरिष्ठ/उप कोषाधिकारी चम्पावत, लोहाघाट, पाटी।
  ६. जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, चम्पावत।
  ७. सम्बन्धित उप शिक्षा, को इस आशय से प्रेषित की स्थानान्तरित अध्यापकों को नियमानुसार कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
  ८. सम्बन्धित अध्यापक को इस आशय से प्रेषित की उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यमुक्त होना सुनिश्चित हो।
  ९. कार्यालय पत्रावली।

④  
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) ८५  
चम्पावत